न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-87RAAJodhpur2024-40RTA223 Govindram ors Vs Baburam etc

01. गोविन्दराम पुत्र गोकलराम,
02. शिवचरण पुत्र बीरबलराम,
जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम रणीसर, तहसील व जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बाबूराम पुत्र कौशलाराम
2. मालाराम पुत्र कौशलाराम
3. छोगाराम पुत्र कौशलाराम
4. बंशीलाल पुत्र कौशलाराम
5. संजनी बेवा कौशलाराम
6. हणुताराम पुत्र कोजाराम फौत के कायम मुकाम
   6.1. मनीराम पुत्र रेशमाराम
   6.2. सुनील पुत्र रेशमाराम
   6.3. कैलाश पुत्र रेशमाराम
   6.4. दोपी पत्नी रेशमाराम
   6.5. हरलाल पुत्र हणुताराम
7. बरसींगाराम पुत्र कोजाराम फौत के कायम मुकाम
   7.1. मांगीलाल पुत्र बरसींगाराम
   7.2. भंवरलाल पुत्र बरसींगाराम
   7.3. हरिकिशन पुत्र बरसींगाराम
   7.4. समदा पत्नी बरसींगाराम
8. तीजा पत्नी स्व० रामलाल
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम भींयासर, तहसील व जिला फलोदी।
9. पूनमचन्द पुत्र चनणमल
10. बीजाराम पुत्र चनणमल
    जातियान् सुनार, निवासीगणः– ग्राम रणीसर, तहसील व जिला फलोदी।
11. जगदीश पुत्र धन्नाराम
12. पांचाराम पुत्र धन्नाराम
13. सुगणी पत्नी धन्नाराम
14. मानाराम पुत्र मुगा
15. माणकराम पुत्र मुगा
    जातियान् विश्नोई निवासीगण ग्राम भीयासर तहसील व जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 जून 2023 सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 315/2007 बाबुराम व अन्य बनाम गोविंदराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 7/4

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 315/2007 अनवान बाबुराम व अन्य बनाम गोविंदराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 08 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी ग्राम भीयासर तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 1098 रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 जून 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेष 01 नियम 09 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में

निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा उक्त निगरानी में विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब कर लिया गया था। माननीय मण्डल से पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने के बाद मूल प्रतिवादीगण यानि अपीलार्थीगण को नोटिस जारी ही नही किये तथा अकेले वादीगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई, जिससे अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही मिल सका तथा आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज़ी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित होता हो कि मौके पर वक्त बंदोबस्त उनके वारिसान का कब्जा हो तथा वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज हो। वक्त सैटलमेन्ट की प्रक्रिया व नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। मामले में वाद व जवाब दावा तथा काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए कि बेचान को शून्य घोषित करने का दावा म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया होने के कारण खारिज व निरस्त किये जाने योग्य था, उक्त विधिक सिद्वान्त की अनेदखी करते हुए आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को खरीद किया गया था तथा उस बेचाननामा को शून्य घोषित व निरस्त करवाये बिना वाद चलने योग्य नही था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य की अनदेखी करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को शाक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में जो तनकियात वादीगण को साबित करनी थी. को साबित नहीं कर पाये है। मौके पर कब्जा साबित नही होने के कारण व कब्जे की मांग नहीं किये जाने के कारण तनकी का निस्तारण गलत रूप से किया गया है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं था तथा न ही कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के नोटिस जारी किये

बिना तथा बिना तामिल के ही निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। वर्तमान में पटवारी हल्का से नकलें प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त खसरान् में खातेदारों के नाम बदल दिये गये है, जिस पर न्यायालय में नकल हेतु दिनांक 04.03.2024 को आवेदन करवाया गया जो नकल तैयार होकर दिनांक 06.03.2024 को मिली, जिसकी सूचना अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.03.2024 को अपीलार्थी को दी गई। अपीलांट द्वारा नकल पढ़ने पर प्रथम बार दिनांक 06.03.2024 को आलौच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 जून 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देष के साथ कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णित करने के प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स/वादीगण की पुष्तैनी खातेदारी की भूमि है। पूर्व खातेदार धन्ना एवं काना को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी गई थी तथा बाद तामील अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथा अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। तत्पष्चात अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 1977/2011 में पारित आदेष दिनांक 17 जनवरी 2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय को मृतकों के सभी विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेते हुए प्रकरण में आवष्यक आगामी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देष दिये गये तथा उभय पक्षकारान् को दिनांक 01.02.2019 को उपस्थित रहने के निर्देष दिये गये है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 01.02.2019 को विचारण न्यायालय में पत्रावली में पुनः कार्यवाही शुरू नही होकर दिनांक 23 मार्च 2022 कार्यवाही शुरू हुई है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि के दौरान विष्वव्यापी कोविड–19 महामारी का भी प्रकोप रहा था, जिस कारण अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। पत्रावली विचारण न्यायालय में माननीय मण्डल द्वारा निर्धारित पेषी पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण अदालत हाजा की राय में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय का दायित्व था कि वह माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना में अपीलांट्स को भी सूचना बाबत पुनः नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सूचित किये, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा माननीय मण्डल के निर्देष की पालना किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 315/2007 अनवान बाबुराम व अन्य बनाम गोविंदराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 जून 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण

न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों के तहत मामले का पुनः निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 मई 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर